रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022024-252091
CG-DL-E-15022024-252091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 2024/माघ 25, 1945
No. 98]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2024/MAGHA 25, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2024

सा.का.नि 107(अ).—केंद्रीय सरकार ,कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2024 है। (2) ये नियम 16 फरवरी, 2024 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में, नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“10क. केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र.- (1) धारा 396 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र का रजिस्ट्रार उपनियम (3) के अधीन यथाउपबंधित फाइल या परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत प्रत्येक आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज की जांच, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण या इसे अभिलेख में लेने या इसे ठीक करने के लिए करेगा।

(2) रजिस्ट्रार को आवेदन, ई-प्ररूपों या दस्तावेजों पर उसके फाइल होने की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्णय लेना होगा, सिवाय उन दशाओं के जिनमें केंद्रीय सरकार या प्रादेशिक निदेशक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है।

(3) इस नियम के अधीन आवेदन, ई-प्ररूपों या दस्तावेजों की जांच के संबंध में नियम 10 के उपनियम (2) से उपनियम (5) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(4) केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र का रजिस्ट्रार निम्नलिखित आवेदन, ई-प्ररूपों या दस्तावेजों के संबंध में संपूर्ण भारत में अधिकारिता का प्रयोग करेगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	**आवेदन, ई-प्ररूप या दस्तावेजों का ब्यौरा**
(i)	अधिनियम की धारा 117 के अधीन ई प्ररूप सं. एमजीटी-14 में रजिस्ट्रार को समाधान और करार फाइल करना
(ii)	अधिनियम की धारा 64 के अधीन शेयर पूंजी में किसी भी परिवर्तन का रजिस्ट्रार को ई-प्ररूप सं. एसएच-7 में नोटिस
(iii)	अधिनियम की धारा 13 के अधीन नाम परिवर्तन के लिए केंद्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु ई-प्ररूप सं. आईएनसी-24 में आवेदन
(iv)	अधिनियम की धारा 18 के अधीन एकल व्यक्ति कंपनी- संपरिवर्तन के लिए ई-प्ररूप सं. आईएनसी-6 में आवेदन
(v)	अधिनियम की धारा 14 और धारा 18 के अधीन पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तन के लिए ई-प्ररूप सं. आईएनसी-27 में आवेदन
(vi)	अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण/अभ्यर्पण की रजिस्ट्रार को ई-प्ररूप सं. आईएनसी-20 में सूचना
(vii)	अधिनियम की धारा 73 और धारा 76 के अधीन जमा राशियों की ई-प्ररूप सं. डीपीटी-3 में विवरणी
(viii)	अधिनियम की धारा 455 की उपधारा (1) के अधीन निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति प्राप्त करने के लिए आरओसी को ई-प्ररूप सं. एमएससी-1 में आवेदन
(ix)	अधिनियम की धारा 455 की उप-धारा (5) के अधीन सक्रिय कंपनी की प्रास्थिति प्राप्त करने के लिए ई-प्ररूप एमएससी-4 में आवेदन
(x)	अधिनियम की धारा 68 के अधीन ई-प्ररूप सं. एसएच-8 में प्रस्ताव पत्र
(xi)	अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (6) के अधीन शोधन क्षमता की ई-प्ररूप सं. एसएच-9 में घोषणा
(xii)	अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (10) के अधीन प्रतिभूतियों के प्रतिक्रय के संबंध में ई-प्ररूप सं. एसएच-11 में विवरणी

(5) यदि उपनियम (4) के अधीन एक समय में कई आवेदन, ई-प्ररूप या दस्तावेज फाइल किए जाते हैं, तो सभी आवेदनों, ई-प्ररूपों या दस्तावेजों को केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के रजिस्ट्रार द्वारा जांचा और निर्णीत किया जाएगा।

(6) इस नियम की कोई बात उपनियम (4) के अधीन फाइल किए गए आवेदन, ई-प्ररूप या दस्तावेज की दशा में अधिनियम की धारा 399 के अधीन केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के रजिस्ट्रार को कोई शक्ति प्रदान नहीं करेगा, और रजिस्ट्रार अपनी प्रादेशिक अधिकारिता में उक्त धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखेगा।"।

[फा. सं. 01/16/2013 सीएल-V (भाग-I)]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 268(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि.45(अ), तारीख 20 जनवरी, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2024.

G.S.R. 107(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396,398,399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from 16th day of February, 2024.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely:-

"10A. Central Processing Center.- (1) The Registrar of the Central Processing Center established under sub-section (1) of section 396 shall examine or cause to be examined every application or e-Form or document required or authorised to be filed or delivered as provided under sub-rule (3), for approval, registration or taking on record by the Registrar.
(2) The Registrar shall take a decision on the application, e-forms or documents within thirty days from the date of its filing excluding the cases in which an approval of the Central Government or the Regional Director or any other competent authority is required.
(3) The provisions of sub-rule (2) to (5) of rule 10 shall apply *mutatis mutandis* in relation to the examination of application, e-Forms or documents under this rule.
(4) The Registrar of the Central Processing Center shall exercise jurisdiction all over India in respect of the examination of following application, e-Forms or documents, namely:-

Sl.No.	**Details of application, e-Form or documents**
(i)	Filing of Resolutions and agreements to the Registrar under section 117 of the Act in e-Form no. MGT-14
(ii)	Notice to Registrar of any alteration of share capital under section 64 of the Act in e-Form no. SH-7
(iii)	Application for approval of Central Government for change of name under section 13 of the Act in e-Form no. INC-24
(iv)	One Person Company- Application for Conversion under section 18 of the Act in e-Form no. INC-6
(v)	Conversion of public company into private company or private company into public company under sections 14 and 18 of the Act in e-Form no. INC-27
(vi)	Intimation to Registrar of revocation/surrender of license issued under section 8 of the Act in e-Form no. INC-20
(vii)	Return of deposits under sections 73 and 76 of the Act in e-Form no. DPT-3
(viii)	Application to ROC for obtaining the status of dormant company under sub-section (1) of section 455 of the Act in e-Form no. MSC-1
(ix)	Application for seeking status of active company under sub-section (5) of section 455 of the Act in e-Form no. MSC-4
(x)	Letter of Offer under section 68 of the Act in form e-Form no. SH-8
(xi)	Declaration of Solvency under sub-section (6) section 68 of the Act in e-Form no. SH-9
(xii)	Return in respect of buy-back of Securities under sub-section 10 of section 68 of the Act in e-Form no. SH-11

(5) In case multiple applications, e-Forms or documents are filed at a time under sub-rule (4), then all the applications, e-Forms or documents shall be examined and decided by the Registrar of the Central Processing Center.

(6) Nothing in this rule shall confer any power on the Registrar of the Central Processing Center under section 399 of the Act in case of applications, e-Forms or documents filed under sub-rule (4), and the Registrar having territorial jurisdiction shall continue to exercise his powers under the said section.”.

[F. No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and last amended, vide number G.S.R. 45(E) dated 20th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.02.15 17:37:44 +05'30'